न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 22/2019

इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह, जाति जट सिख, आयु करीब 60 वर्ष, निवासी चक मोहनपुरा (8—वाई), तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत मोहनपुरा (8—वाई), जरिये सरपंच।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री राजवीर सिंह — — प्रार्थी
2. श्री सुरेश कुमार अरोडा — — अप्रार्थी 2
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी 1

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 28.02.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी चक 7—वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है तथा काश्तकार पेशा है। प्रार्थी का रकबा चक 7—वाई, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या55/26 के मुरब्बा नम्बर 20, 28, 31, 37, 39 के कुल 4.351 हैक्टेयर में से 0.313 हैक्टेयर दर्ज कागजात राज है। मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3, 4, 5, 7, 8 की कुल 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि पारिवारिक समझौता अनुसार प्रार्थी के कब्जा काश्त में कालान्तर से चली आ रही है। मुरब्बा नम्बर 37 के पश्चिम में चक 8—वाई का मुरब्बा नम्बर 51 स्थित है। मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1, 2, 9 व 10 में शमशान भूमि है। नक्शा व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थी के उक्त रकबा के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। चक मोहनपुरा (8—वाई) के मुरब्बा नम्बर 45 में प्रार्थी की रिहायश है। आबादी भूमि मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में सड़क आम है। प्रार्थी इस सड़क से चल कर चक 8दृवाई के मुरब्बा नम्बर 51 (शमशान भूमि) के किला नम्बर 1 व 2 से गुजर कर अपने रकबा स्थित चक 7—वाई के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 3 तक पहुंचता है। इस प्रकार प्रार्थी को अपने रकबा तक पहुंचने के लिए चक 8दृवाई के मुरब्बा नम्बर 51 (शमशान भूमि) के किला नम्बर 1 व 2 प्रत्येक में से 1—1 बिस्वा [illegible] है। प्रार्थी कालान्तर से उक्त रास्ता यानि चक 8—वाई के मुरब्बा नम्बर 51 (शमशान भूमि) [illegible] नम्बर 1 व 2 में से उत्तरी साईड से निकल कर अपने रकबा स्थित चक [illegible] की काश्त करता आ रहा है जिससे ग्राम पंचायत को कभी कोई आपत्ति नहीं रही। [illegible] मुरब्बा नम्बर [illegible] चारदीवारी किये जाने के उपरान्त प्रार्थी को [illegible] गया है जिससे प्रा[illegible] अपने रकबा में आने—जाने के लिए भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है एवं उक्त रास्ता ही प्रार्थी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को अपने रकबा में आने—जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिये इसे राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested

में स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी के रकबा के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता उपलब्ध न होने के कारण प्रार्थी द्वारा मांग किये गये उक्त रास्ते की मांग सुविधा के लिए न होकर अति आवश्यक है, क्योंकि रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपनी भूमि काश्त करने में भारी बाधा पैदा हो रही है, क्योंकि रास्ता न होने के कारण प्रार्थी अपनी आराजी मुरब्बा नम्बर 37 में किसी भी कृषि यन्त्र को नहीं ले जा सकता एवं आज के आधुनिक समय में कृषि संयंत्रों के बिना खेती करना सम्भव ही नहीं है जिस कारण प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 37 के अपने रकबा में आने–जाने के लिए चक 8–वाई के मुरब्बा नम्बर 51 (शमशान भूमि) के किला नम्बर 1 व 2 प्रत्येक में से उत्तरी दिशा में पत्थर लाईन पर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। कानूनन भी हर काश्तकार के रकबा के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। इसी कारण तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को अप्रार्थी संख्या 1 के रूप में पक्षकार बनाया गया है ताकि रास्ता स्वीकृत होने पर कागजात राज में अमल दरामद हो सके तथा यह भी स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी के रकबा स्थित चक 7–वाई के मुरब्बा नम्बर 37 में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त मुरब्बा नम्बर 51 में स्थित शमशान भूमि की देखरेख अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा की जा रही है, इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के रकबा चक 7–वाई के मुरब्बा नम्बर 37 के लिए, चक 8–वाई के मुरब्बा नम्बर 51 (शमशान भूमि) के किला नम्बर 1 व 2 प्रत्येक में से उत्तर दिशा में 1–1 बिस्वां रास्ता, यानि 8.25 फुट चौड़ाई में पत्थर लाईन के साथ–साथ स्वीकृत करने व कागजात राज में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, ग्राम 7 वाई, पटवार सर्किल मोहनपुरा खाता संख्या 55/26 मुरब्बा नम्बर 20, 28, 31, 37, 39, एवम् जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, ग्राम 8 वाई, पटवार सर्किल मोहनपुरा खाता संख्या 4/4 मुरब्बा नम्बर 51 प्रस्तुत की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक राजस्व/18/252 दिनांक 26.02.2019 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम चक 7 वाई के खाता संख्या 55/26 में 0.313 हैक. रकबा संयुक्त खाते में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें मुरबा नम्बर 20 में 0.632 हैक. किला नम्बर 25/1 में 0.076 हैक. मु.नं. 31 में 1.138 हैक. मु.नं 37 में 1.265 हैक. मु.नं. 39 में 4/2(0.126), 5–6–15–16–25 प्रत्येक 0.228 कुल 4.351 हैक. दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खाता में पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ता है। मौका नक्शा संलग्न है। प्रार्थी द्वारा संयुक्त खाता में दर्ज 0.303 हिस्से के लए शमशान भूमि की चार दीवारी तोडकर रास्ता चाहा गया है जो उचित नहीं है। प्रार्थी अपने खाता का विभाजन करवा कर किले वाईज रकबा होने के उपरान्त नियमानुसार रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.01.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तजुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रारम्भिक आपत्तियां :–

1. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार एक खातेदार दूसरे खातेदार की भूमि से रास्ता की मांग कर सकता है न कि किसी गैर–खातेदार की भूमि से। प्रार्थी द्वारा शमशान भूमि में रास्ता की मांग की है, जो खातेदारी भूमि नहीं है, बल्कि गैर मुमकिन शमशान घाट के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 18 के अनुसार शमशान की भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

3. यह कि माननीय न्यायालय को शमशान भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक 252 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार प्रार्थी के पास पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ता है, इसलिए एक रास्ता होते हुए, प्रार्थी दूसरे रास्ता की मांग नहीं कर सकता।

5. यह कि प्रार्थी के पास भूमि संयुक्त खाता में है, जब तक प्रार्थी किला विशेष अपने नाम से दर्ज नहीं करवा लेता, तब तक रास्ता की मांग नहीं कर सकता।

बिन्दू वार जवाब निम्न प्रकार से है :–

पारिवारिक समझौता व कब्जा काशत के तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी के पास संयुक्त खाता में भूमि है तथा उक्त भूमि में आने–जाने के लिए पहले से स्वीकृतशुदा रास्ता है, इसका स्पष्ट विवरण तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की जांच रिपोर्ट में अंकित है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक जोत के लिए एक ही रास्ता दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति सुविधा के अनुसार रास्ता की मांग नहीं कर सकता। प्रार्थी कभी भी 8 वाई के मुरब्बा नम्बर 51 (शमशान भूमि) के किला नम्बर 1 व 2 से गुजर कर, अपने रकबा म नही जाता और ना ही प्रार्थी को इस रास्ता की कोई आवश्यकता है। प्रार्थी कभी भी शमशान भूमि की भूमि से निकलकर अपने रकबा में नहीं जाता रहा है। इस मद में यह अंकित कि ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, अस्वीकार है। प्रार्थी के पास अपने रकबा में जाने के लिए और रास्ता मौजूद है। प्रार्थी छोटा रास्ता के आधार पर नया रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के पास अपने रकबा में जाने के लिए और रास्ता मौजूद है। उसे इस रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही प्रार्थी को कोई बाधा हो रही है। कानूनन एक रास्ता होते हुए कोई काश्तकार दूसरे रास्ते की मांग नहीं कर सकता। प्रार्थी के रकबा को जाने के लिए पहले से रास्ता उपलब्ध है। शमशान की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकण की बहस सुनी गई। पत्रालवी पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी–2 द्वारा प्रस्तुत जवाब, प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट प्रार्थी के खाता में पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु शमशान में से रास्ता चाहा गया है। 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा शमशान भूमि में से रास्ता की मांग की है, जो खातेदारी भूमि नहीं है, बल्कि गैर मुमकिन शमशान घाट के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शमशान घाट की भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 28.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.10 16:53:38 IST
Reason: Self Attested

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीगंगानगर